



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:- 246/बी0एफ0टी0/01/15-16

दिनांक:-.....


पूर्णता प्रमाण-पत्र


14/6/18

ताजगंज वार्ड में स्थित भूखण्ड सं0-75/एफ-4, पार्श्वनाथ प्रेरणा, ताजनगरी फेस-2, आगरा पर निर्मित आवासीय भवन के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र (प्रपत्र-अ के भाग-अ, ब, स) का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0-246/बी0एफ0टी0/01/15-16 दिनांक 01.06.16 व शमन मानचित्र सं0-एन0एफ0टी/वीसी/87/16-17 दिनांक 18.03.17 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः सचिव महोदय के आदेश दिनांक 13.06.18 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. शमन मानचित्र में दर्शित निर्माण के अतिरिक्त कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
2. भवन का उपयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा।
3. शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


15/06/18


14/06/18
अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आ0वि0प्रा0, आगरा।



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

विवरण व आदेश

विभाग

फाइल संख्या

क्रम संख्या

09

नगर नियोजक

कृपया नोडल अधिकारी प्राधिकरण पत्र के फॉर्म 444/प्र.सि.0/2016 दिनांक 15/01/16 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो श्रीमती गीत अग्रवाल, निवासी - पार्श्वनाथ अरेखा राजनगरी योजना फेस-2, आगरा में पार्श्वनाथ डवलपर्स लि. के प्रोजेक्ट पार्श्वनाथ अरेखा में रेजिमेंशन क्लब न बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने पत्र में बताया गया है कि प्लॉट नं. 75 पर कासोनी विकासकर्ता द्वारा रेजिमेंशन क्लब का निर्माण करने हेतु आश्वासन दिया गया था परन्तु शिकायतकर्ता को रेजिमेंशन क्लब के स्थान पर आवासीय निर्माण मिले जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्लॉट नं. 54, सेक्टर 1 पर पार्श्वनाथ अरेखा के नाम से पार्श्वनाथ डवलपर्स लि. द्वारा तलपट मानचित्र नं. 114/डएन/4/06-07 स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार प्लॉट नं. 75 आवासीय है। उक्त प्लॉट पर पार्श्वनाथ डवलपर्स लि. द्वारा आवासीय मानचित्र नं. 264/डएन/01/15-16 स्वीकृत किया गया है।

प्लॉट नं. 48 के क्षेत्र के पार्क पर यदि कोई अन्य प्लॉट सृजित किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

इस कार्रवाई से शिकायतकर्ता को

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

विवरण व आदेश

जे/ए/ए

कृपया गत पृष्ठ पर उल्लिखित आख्या
दिनांक-05/02/18 के क्रम में पक्ष को उनके प्रति
प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किमे गये
आवेदन दि. - 13/11/18 के क्रम में ^{पत्रालेख} ~~आख्या~~
संभार कर दिया गया है। नए आवेदन का
हालात प्रस्तुत है।

05/02/18

H. C. S.

08/02/18



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

विवरण व आदेश

12

अधिशाली अभियन्ता(भवन)/मु.न.नि. /सचिव

कृपया दाहिनी ओर संलग्न पार्श्वनाथ डवलपर्स लि० के अधिकृत हस्ताक्षरी श्री जगनारायण सिंह द्वारा भूखण्ड सं०-75/एफ-4, पार्श्वनाथ प्रेरणा, ताजनगरी फेस-2, फतेहाबाद रोड, आगरा पर निर्मित भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रार्थना पत्र के साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के प्रस्तर सं०-3.1.8 (300वर्गमी० से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर आवासीय भवन के लिए) के क्रम में प्रपत्र 'अ' का भाग 'अ', भाग 'ब' व भाग 'स' में निहित सूचनाओं को अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड सं०-75/एफ-4 पार्श्वनाथ प्रेरणा, ताजनगरी फेस-2 पर आवासीय भवन मानचित्र परमिट सं०-264/बी०एफ०टी०/०१/१५-१६ दिनांक ०१.०६.२०१६ को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत मानचित्र में भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल तक का निर्माण दर्शाया गया है। स्थल पर भी द्वितीय तल तक निर्माण विद्यमान है। स्वीकृत मानचित्र से किये गये अतिरिक्त निर्माण को परमिट सं०-एनएफटी/वी०सी०/८७/१६-१७ दिनांक १८.०३.२०१७ को शमन किया गया। स्थल पर निर्मित भवन पूर्णतया फिनिश हो चुका है जिसके फोटोग्राफ अवलोकनार्थ संलग्न है। प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जा सकता है-

शर्त:-

1. शमन मानचित्र में दर्शित निर्माण के अतिरिक्त कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
2. भवन का उपयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा।
3. शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन निर्मित भवन सं०-75/एफ-4, पार्श्वनाथ प्रेरणा, ताजनगरी फेस-2, आगरा के पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली संस्तुति सहित प्रस्तुत है।

11.6.18

11.6.18

12/06/18

13-6-18

सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण